अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति एवं मराठा साम्राज्य
के महान सेनापति पेशवा बाजीराव जी प्रथम की
पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।
—— ब्रजेश पाठक,डिप्टी सीएम, उप्र

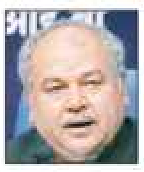

केंद्रशासित राज्यों में भी योजनाओं का शत-प्रतिशत
क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
—— नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री

निगम के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मिलेगी मोबाइल लाइब्रेरी की सुविधा

नई दिल्ली (एसएनबी)। सीड्स और चेग इंडिया ने आपसी सहयोग से चेग द्वारा विकसित 'एजुकेशन बियॉन्ड स्कूल्स अवधारणा पर आधारित राजधानी में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को एक नए प्रारूप देने के लिए विशेष पहल की शुरुआत की है। बस में स्थापित मोबाइल लाइब्रेरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के प्राइमरी सेक्शन के छात्रों को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करेगी। मोबाइल लाइब्रेरी बस का उद्घाटन निगम में शिक्षा विभाग के निदेशक की उपस्थिति में विश्वकर्मा नगर स्थित नगर निगम स्कूलों में हुआ। इस अवसर पर चेग इंडिया के प्रबंध निदेशक विजय टीएस, सीड्स के सह-संस्थापक मनु गुप्ता सह-संस्थापक, कई शिक्षक और अधिकारी उपस्थित थे।

चेग इंडिया के प्रबंध निदेशक विजय टीएस ने कहा कि मोबाइल लाइब्रेरी बस एक इनोवेटिव पहल है, जो न केवल शिक्षा के तरीके में नए बदलाव लाएगी, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन तक बच्चों की पहुंच को बढ़ाएगी। सीड्स के साथ साझेदारी करके हम दिल्ली में सरकारी स्कूल के छात्रों को इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री और उन्नत शिक्षण प्रणाली के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं। हमारी यह पहल अन्य संस्थानों को भी भारत के युवाओं की शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी।

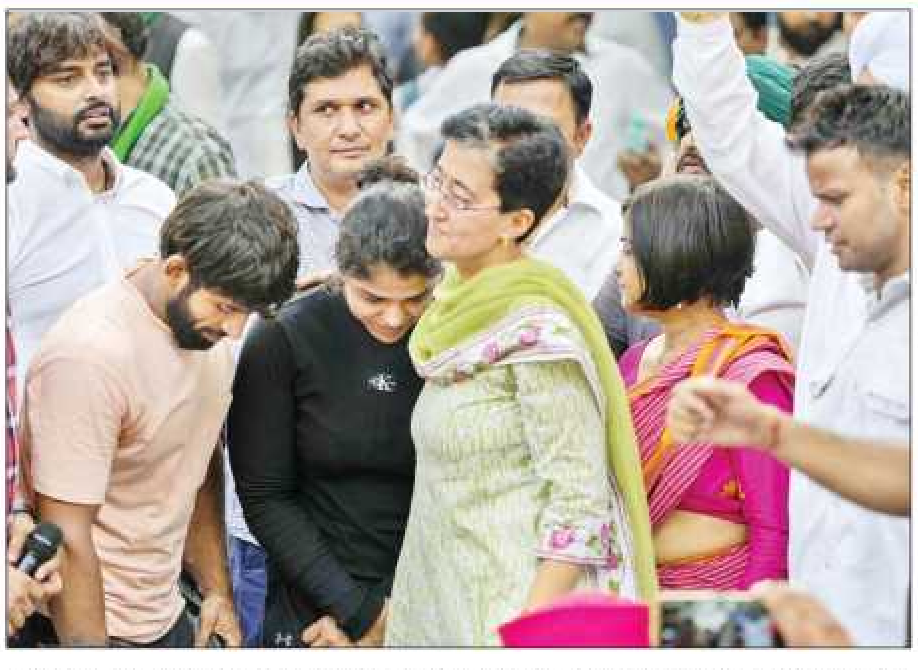

जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन के लिए शुक्रवार को पहुंची दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी व सौरभ भारद्वाज। फोटो : प्रेट्र

साल के आखिर तक दिल्ली को मिल जाएंगे चार नए फ्लाई ओवर : आतिशी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को राजधानी में निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों एवं मौजूदा फ्लाई ओवरों के रख-रखाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक राजधानी के लोगों को 4 नए फ्लाई ओवर एवं दो अंडरपास मिल जाएंगे। इससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और वाहन चालकों को सुगम यात्रा का अहसास होगा। निर्माणाधीन चार फ्लाई ओवरों में सराय काले खां टी-जंक्शन, पंजाबी बाग-राजा गार्डन फ्लाई ओवर का विस्तार, आनंद विहार-अप्सरा बॉर्डर के बीच एवं यमुना विहार का डबल डेकर फ्लाईओवर शामिल हैं। बैठक में 12 से अधिक फ्लाईओवरों के रख-रखाव को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए विभाग मुख्यमंत्री के विजन पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरे होने पर रोजाना लाखों वाहनों को जाम से छुटकारा मिलेगा। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए काम करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने बताया कि पंजाबी बाग से राजा गार्डन तक फ्लाई ओवर के विस्तार का काम चल रहा है। दोनों फ्लाई ओवर की 1-1 लेन को बढ़ाकर 3 लेन का किया जाएगा और 3-3 लेन के दो नए फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। पंजाबी बाग से राजा गार्डन तक 1400 मीटर तक विस्तार किया जाएगा।

- निर्माणाधीन एवं मौजूदा फ्लाई ओवरों के रख-रखाव को लेकर समीक्षा बैठक
- टाइम लाइन के साथ काम करें अधिकारी

इन फ्लाई ओवरों पर यातायात का काफी बोझ है। यहां रोहतक रोड (एनएच -10) से हरियाणा की तरफ से काफी वाहन आते हैं। यह फ्लाई ओवर उत्तरी दिल्ली को दक्षिणी दिल्ली, गुड़गांव एवं एनसीआर के अन्य हिस्से से जोड़ने का काम करता है। आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के बीच छह लेन के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 1440 मीटर लंबा यह फ्लाई ओवर रामप्रस्थ कॉलोनी, विवेक विहार और श्रेष्ठ विहार रेड लाइट पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाएगा। यहां औसतन रोजना 1.48 लाख वाहन गुजरेंगे। करावल नगर, घोंडा-वृजपुरी जंक्शन पर डबल डेकर फ्लाईओवर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में यमुना विहार व भजनपुरा के बीच यातायात को सुगम बनाएगा। 1.4 किमी लंबा यह फ्लाई ओवर साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2 नए अंडरपास का चल रहा काम : प्रगति मैदान कॉरिडोर प्रोजेक्ट का अधिकतम काम पूरा हो चुका है। यहां निर्माणाधीन अंडरपास का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही मुकरबा चौक अंडरपास बादली से हैदरपुर जाने की दिशा में निर्माण कराया जा रहा है। यह अंडरपास करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा।

सिसोदिया को जमानत न मिलना, जांच एजेंसियों के पास पक्के सबूत : सचदेवा

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की एक बार फिर जमानत याचिका रद्द होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि इससे साबित होता है कि जांच एजेंसियों के पास उनके विरुद्ध मजबूत साक्ष्य हैं। यही वजह है कि सिसोदिया के बड़े-बड़े वकील भी उन्हें जमानत दिलाने में नाकाम रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतने बड़े-बड़े वकील लगाने के बाद भी सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री के इस दावे की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया का भी मामला कमोवेश सत्येंद्र जैन से मिलता है। सत्तारूढ़ आप नेताओं ने सत्येंद्र के बारे में बात करनी भी बंद कर दी है।

जंतर-मंतर के संरक्षण के लिए समिति गठित

नई दिल्ली (एसएनबी)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने हाईकोर्ट को बताया कि यहां जंतर-मंतर वेधशाला के संरक्षण, जीर्णोद्धार और समुचित संचालन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसपर कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि स्मारक के संरक्षण, जीर्णोद्धार और समुचित संचालन को लेकर समिति जल्द ही कदम उठाएगी और बैठक आयोजित करेगी। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इसको लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहते हुए सुनवाई 31 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। साथ ही अधीक्षण पुरातत्वविद् को अगली सुनवाई के दिन उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट का यह आदेश उसके सितंबर, 2010 आदेश का पालन न करने को लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली अवमानना याचिका पर आया है। एएसआई ने शपथ पत्र देकर कहा था कि जंतर-मंतर के मूल गौरव को बहाल किया जाएगा।

अदालती टिप्पणी से आत्मसम्मान पर पड़ता है गहरा असर : हाईकोर्ट

■ अमरेश कुमार

नई दिल्ली। एसएनबी

- सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणी को किया निरस्त
- निचली अदालत ने सीबीआई पर 16 हजार का हर्जाना भी लगाया था
- सीबीआई अधिकारियों की कार्य क्षमता का आकलन करना पूरी तरह से अनुचित : हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश के माध्यम से किसी का अपमान व अनादर किए जाने से उसके आत्मसम्मान और समाज में उसकी प्रतिष्ठा पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अदालती आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसी दशा में अदालतों को इस तरह की निंदा करने से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह बात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों के कामकाज को लेकर निचली अदालत की टिप्पणियों को खारिज करते हुए की। निचली अदालत ने सीबीआई पर 16 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया था। यह हर्जाना आरोपियों के बयान दर्ज करने का मसौदा प्रश्न तैयार करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने को लेकर लगाया गया था।

न्यायमूर्ति ने कहा कि प्रश्न तैयार करना अदालत का ही काम है। एक बेहतर न्यायाधीश वह है, जो साक्ष्यों में से आपत्तिजनक सबूत खोजे और उसके बारे में अभियुक्त से स्पष्टीकरण मांगे। एक न्यायाधीश ही जान सकता है कि क्या अपराध बनता है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता, विशेषज्ञता या वैधता को अदालत को अपने ऊपर नहीं लिया जाना चाहिए और किसी भी नाराजगी और असहमति की दशा में सम्मानजनक, संयमित और विनम्र तरीके से प्रतिक्रिया को व्यक्त किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति ने कहा कि यह अदालत यह समझ पाने में विफल रही है कि धमकी के रूप में चेतावनी को कैसे न्यायिक आदेश का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि यह काफी गंभीर प्रकृति की होती है। इसे पारित करते समय संबंधित व्यक्ति या जांच एजेंसी के आचरण की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए और उसके बाद सावधानी के साथ अदालती टिप्पणी की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति ने निचली अदालत के 5 मार्च, 2018 के आदेश में सीबीआई के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों की कार्य क्षमता का आकलन करना पूरी तरह से अनुचित है। उस पर से उसके निदेशक एवं डीओपी से यह कहना कि वे अपनी क्षमता का आकलन करें। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी में तैयार प्रश्नावली के वाक्य असंतोषजनक पाए गए तो अदालत को ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेजी मसौदा तैयार करने वाले अधिकारियों की मातृभाषा नहीं है। सभी अंग्रेजी भाषाविदों की तरह लिखने एवं बोलने में कुशल नहीं हो सकते। हालांकि राजधानी की अदालतों में अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी अदालत या प्राधिकरण को उस भाषा में प्रश्नों को उचित ढंग से नहीं लिखने वालों को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं देता है।

नेपाली दुष्कर्म पीड़िता को मिली 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेपाल की एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने कहा कि पीड़िता व उसका परिवार नेपाल के नागरिक हैं, इस दशा में एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर जल्द से जल्द उसका गर्भ समाप्त करने के लिए कदम उठाएं। उस दौरान मेडिकल टीम यह सुनिश्चित करे कि नाबालिग की बेहतर देखभाल हो और उसके बाद भी उसकी देखभाल की जाए, ताकि वह जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद ही उसे अस्पताल से छुट्टी दी जाए। परिवार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगर बच्चा जीवित पैदा होता है, तो वह उसकी उचित देखभाल करेंगे।

अदालत पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी नाबालिग बेटी का गर्भपात कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। मां ने कहा था कि नेपाल में उसकी बेटी के साथ पिछले साल सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस समय वह और उसका पति दिल्ली में काम कर रहे थे।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूसा पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008 कॉर्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLC038137

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित नियम 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ('प्रतिभूत लेनदार') को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 27–01–2022 को लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार, को कर्जदार/रों नामतः **मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड, प्रधान कर्जदार अब परिसमापनाधीन – इसके परिसमापक श्री ए.के. गुप्ता और (1) श्री हरि राम गुप्ता (पूर्व निदेशक), (2) श्री अर्पित गुप्ता (पूर्व निदेशक), (3) श्री प्रतीक गुप्ता (पूर्व निदेशक)** की तरफ **31–08–2017** तक बकाया **रु. 22,45,90,168/– (रुपए बाईस करोड़ पैंतालीस लाख नब्बे हजार एक सौ अड़सठ मात्र)** भुगतान/वसूली तक आगे [illegible] आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक **15 मई, 2023** को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार"** और **"जो कुछ भी है वहां है आधार"** पर बेची जाएगी।

बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर)/धरोहर राशि जमा
मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड, (परिसमापनाधीन)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : औद्योगिक सम्पत्ति सं. 19/3 खसरा नंबर 19/3 का भाग, जो ग्राम कमरुद्दीन नगर, नांगलोई, दिल्ली–110041 में अब न्यू राम नगर के नाम से ज्ञात कालोनी में स्थित है, कुल **परिमाप 260 वर्ग गज** के भूखंड पर निर्मित सुपरस्ट्रक्चर सहित।	रु. 69,08,000/– (रुपए उनहत्तर लाख आठ हजार मात्र) रु. 6,90,800/– (रुपए छह लाख नब्बे हजार आठ सौ

इच्छुक क्रेता अपने पूर्ण विवेक पर और संभावित खरीदारों के पूर्व अनुरोध पर, उक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 12 मई, 2023 को अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक के बीच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी केवल 'ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से 12 मई, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी। ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा से सम्पर्क कर सकते हैं, सम्पर्क व्यक्ति **श्री विनोद चौहान – 98138–87931, ईमेल : delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com. हैल्पलाइन नंबर 91–124 4302020/2021/2022/2023/2024. सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124/25/26.**
2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/या https://auctions.kotak.com पर जा सकते हैं।
3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है।
5. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर 11 मई, 2023 तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, [illegible] **"मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड" के खाते में संपत्ति के क्रय हेतु** लिखना चाहिए।
6. संभावित बोलीदाता, मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं।
7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से **खाता संख्या 06410126272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958,** में 11 मई, 2023 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक जमा करानी होगी। [illegible] ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली रद्द निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ानी होगी।
9. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय से अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।
10. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25 (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन [illegible]
11. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नहीं होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उक्त प्रभाव के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।

[illegible]

28. बोलीदाताओं को बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
29. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक अप आदि सुनिश्चित करनी चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों / आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
30. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/आस्तियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
31. वर्तमान नोटिस को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट [illegible] पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पक्ष इसे देख भी सकते हैं।
32. यदि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।
33. अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी श्री मनु [illegible] (मोबाइल नंबर +919667220601) या बैंक के अधिकारी श्री विनोद मनानी (मोबाइल नंबर 9810004107) और श्री विपुल दुबे (मोबाइल नंबर +91–9377905113) से सम्पर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्द्वारा निम्नलिखित में देयता का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर 'प्रतिभूत संपत्ति' (उपरोक्त वर्णित) ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी।

स्थान : दिल्ली,
तिथि : 27–04–2023

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,
प्राधिकृत अधिकारी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(आवासीय कोचिंग अकादमी)
कोचिंग एवं कैरियर योजना केन्द्र

सिविल सेवा (प्रारंभिक सह-मुख्य) 2024

अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मेदवारों के लिए सिविल सेवा (प्रारंभिक सह-मुख्य) 2024 के लिए मुफ्त कोचिंग (हॉस्टल सुविधा के साथ) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए **www.jmi.ac.in** पर विजिट करें। ई-मेल : cccp@jmi.ac.in

हस्ता./-
रजिस्ट्रार

सीबीसी–21246/12/0001/2324

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
मेरठ शाखा : पहली मंजिल , आर्यन स्केअर, पीवीएस मॉल के पास, योजना नं. 3, आई.एस. 190 शास्त्री नगर, मेरठ-250002 (उ.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटरस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिग्रहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवें। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्र.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 00500003340/ मेरठ शाखा) नितिन कश्यप (ऋणी) जोगेन्द्र (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 195, मोहल्ला रामशाला, वार्ड नं. 3, शामलि, गणेश चौक के पास, मुझफर नगर, उत्तर प्रदेश- 247776. चतुंःसीमा : पूर्व : पल्ली शिम्पी का प्लाट, पश्चिम : रोड, उत्तर : श्री पल्ली शिम्पी का निजी रास्ता, दक्षिण : श्री जोगेन्द्र एवं जादुराम का प्लाट	13-12-2022 & ₹ 1,92,594/-	26-04-2023

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 29.04.2023

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
लक्ष्मी नगर शाखा : दूसरी मंजिल, डब्ल्युए-122, मदर डेरी रोड, बालाजी मंदिर के सामने, विशाल मेडिकोज के पास, शकरपुर, दिल्ली-110092.
गुरुग्राम शाखा : कम्युनिटी नं. 501/2 (न्यू एमसी न. 48/5) दूसरी मंजिल, महरौलीती रोड, सेक्टर नं.-14, ऑटो नीड शोरुम के पास, गुरुग्राम 122022 (हरियाणा)
प्राधिकृत अधिकारी : विकास नैन, संपर्क क्र. 9802000309

निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत बिक्री के लिए संपत्ति

यह कि, प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) ने वित्तीय संपत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के प्रवर्तन संपत्ति के प्रसंस्करण के 13 (4) के अंतर्गत निम्न वर्णित सम्पत्ति (प्रतिभूत ऑस्ति) का समस्त शेष एवं सम्पुर्ण भाग को कब्जे मे ले लिया है प्राधिकृत अधिकारी को सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत उपर्युक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ कुछ इच्छुक पार्टी से बिक्री की पेशकश प्राप्त हुई है। अब, प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के संदर्भ मे उपरोक्त संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस दे रहा है। खाते का विवरण इस प्रकार है:

लोन एप. नं.	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि दिनांक 31.03.2023 को	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
(एप नं. D1594379/ लक्ष्मी नगर शाखा)	चंद्र प्रकाश (ऋणी), नर्मदा देवी नौटियाल (सह-ऋणी)	10-12-2019 & ₹ 10,70,831/-	₹ 2,00,000/-	₹ 12,03,580/- (रुपये बारह लाख तीन हजार पाँच सौ अस्सी मात्र)	सम्पति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, प्लाट नं. 59, आरएलएफ सिटी, भिवाड़ी अलवर, राजस्थान- 301019 **चर्तुसीम :** पूर्व : प्लाट नं. 60, पश्चिम: प्लाट नं. 58, उत्तर : खसरा नं. 432/119, दक्षिण : रोड 9 मीटर
(लोन कोड नं. 16000000328/ गुरुग्राम शाखा)	स्व. संजय शर्मा (उनके कानूनी वारिस के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (ऋणी), कोमल शर्मा (सह-ऋणी)	18-07-2022 & ₹ 16,31,882/-	₹ 20,00,000/-	₹ 15,75,573/- (रुपये पंद्रह लाख पिचत्तर हजार पाँच सौ तिहत्तर मात्र)	सम्पति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जनक अपार्टमेंट, प्लाट नं. डी 19 20, पहली मंजिल, प्राईवेट नं. 102, पीछे की तरफ आएचएलएसडब्ल्यू साईड, फ्लेट नं. 18 6 चाणक्य पैलेस पार्ट 1, नई दिल्ली, दिल्ली 110059, **चर्तुसीम :** पूर्व : फ्लेटनं. एफएफ 101 उसके बाद प्लाट नं. 18, पश्चिम: प्लाट नं. 20, उत्तर : इंटरेंस/लिफ्ट/फ्लेटनं. एफएफ- 103/, दक्षिण : रोड 30 फिटचौड़ा

प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री के लिए "जहां है", "जैसी है", "जो कुछ भी है" के आधार पर नीलाम करेगा। एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कारण के बिना प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बिक्री सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। प्रस्तावित खरीदार की पेशकश की स्वीकृति पर, उसे 25% स्वीकृत मूल्य समावेशी समायोजन बयाना राशि जमा करना होगा और सुरक्षित ऋण–दाता द्वारा ऑफर की स्वीकृति की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खरीदार द्वारा शेष राशि का भुगतान करना होगा। प्रस्तावित खरीदार को यह ध्यान रखना है कि निर्दिष्ट समय के भीतर उसके द्वारा शेष राशि के भुगतान की विफलता के मामले में, जमा राशि पहले ही जब्त की जाएगी और संपत्ति तदनुसार फिर से बेची जाएगी।

यह 15 दिनों का विक्रय नोटिस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आम तौर पर जनता विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं), सह उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(ओं) को दिया जाता है कि उपर वर्णित अचल संपत्ति को सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित किया गया है। आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) सुरक्षित लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** ले लिया है , जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड की बकाया राशि के आधार पर बेचा जाएगा, बिक्री की तारीख से पहले पूर्ण रुप से, नीलामी विज्ञापन रोके जाने के लिए उत्तरदायी है।

यदि ऋणी (ओं), सह–ऋणी(ओं) के पास कोई खरीदार है, जो दिए गए आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर गिरवी संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, तो ऋणी (ओं), सह–ऋणी(ओं) को 15.05.2023 को या उससे पहले **एएचएफएल** को सूचित करना होगा, **एएचएफएल** उसे प्राथमिकता देगा। यदि ऋणी, सह–ऋणी 15.05.2023 को या उससे पहले सूचित करने में असफल रहते है, तो **एएचएफएल** ऊपर दिए गए आरक्षित मूल्य पर संपत्ति की बिक्री को आगे बढ़ाएगा।

नीलामी की तारीख 15.05.2023 तय की गई है।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 29.04.2023

सही/– प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड